संख्या- 38/2017/1720/बयालिस-2017-207(विविध)/2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश स्पोर्टस कालेजेज सोसाइटी,
लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2017**

विषय :- **गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, कुर्सी रोड, लखनऊ में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए डाक्यूमेन्ट्री शूट करने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1165/सोसाइटी/(ग्रा0आ0)/2017, दिनांक 24.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए डाक्यूमेन्ट्री शूट करने की अनुमति दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 से 10 नवमबर, 2017 तक शासन द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1)- नियमित खेल जो स्पोर्टस कालेज में बच्चों के लिए खेले जा रहे हैं, उनमें कोई बाधा न उत्पन्न हो।

(2)- नियमानुसार शुल्क की वसूली पहले ही कर ली जाय।

(3)- किसी भी प्रकार की टूट-फूट अथवा क्षति को आयोजक से असूला जाय तथा पूर्व में ही इससे सम्बन्धित बंधपत्र इत्यादि ले लिया जाय।

(4)- आवेदन का पूर्ण विवरण, कम्प्नी का पूर्ण विवरण, बैंक के विवरण तथा संबंधित कागजात प्राप्त कर लिया जाय।

(5)- शूट की विडियों भी प्राप्त कर ली जाय।

(6)- अन्य शर्तें जो निदेशक, खेल/प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ द्वारा उचित समझी जाय।

भवदीय,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या– 1720(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, लखनऊ।

(2)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, लखनऊ।

(3)- कम्प्यूटर प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।